कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/पदस्थापन/2018 दिनांक–30.06.2020 द्वारा श्रीमती नीलम सूद, व्याख्याता–हिन्दी, राउमावि, चासंदा–कुराबड़, उदयपुर से प्रशासनिक कारणों के आधार पर इनका पदस्थापन राउमावि, ओडा–झाडोल (फलासिया) उदयपुर किया गया था। जिसके विरूद्व याचिकार्थी श्रीमती नीलम सूद ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या–5499/2020 दायर की।

माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में याचिकार्थी को आदेशित किया है कि वे विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को उसे एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारण करने के आदेश प्रसारित किये है तथा इस कार्यालय के आदेश दिनांक–30.06.2020 पर अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगन प्रदान किया है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की पालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वर्तमान स्थानान्तरित स्थान उसके गृह निवास से 100 किमी. की दूरी पर स्थित है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक–31.07.2021 है। याचिकार्थी द्वारा अपना पदस्थापन राउमावि, एकलिंगजीपुरा–गिर्वा, उदयपुर अथवा राबाउमावि, नई गिर्वा, उदयपुर में व्याख्याता–हिन्दी के पद पर किये जाने की मांग की गई है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थीया द्वारा मुख्य रूप से पदस्थापन की दूरी एवं निकट सेवानिवृत्ति के अधार पर जो पदस्थापन स्थान में परिवर्तन की मांग की गई है उसके संबंध में उल्लेखनीय है कि याचिकार्थी को उदयपुर जिले में ही प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया था, किसी दूरस्थ स्थान पर अथवा अन्य जिले में नहीं। जहाँ तक सेवानिवृत्ति तिथि के निकट होने के आधार पर अनुतोष प्रदान किये जाने की जो मांग है, उसके संबंध में ध्यातव्य है कि जिले में ही स्थानान्तरित किये जाने के कारण याचिकार्थी को पेंशन संबंधी समस्त परिलाभों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होना अपेक्षित नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती नीलम सूद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है तथा इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक–30.06.2020 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि, ओडा–झाडोल (फलासिया) उदयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर दिनांक – 10/09/2020 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/को.के./नीलमसूद/5499/2020/47 दिनांक– 03/09/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि-प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती नीलम सूद के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक–
9. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर